Recommendations of Tikku Committee

2409. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non-medical scientists who were not covered under the Tikku Committee report had approached the Hon'ble Supreme Court of India which directed Government to extend all benefits except non-practicing allowance to them, if so, the details thereof;

(b) whether it is also a fact that Government have directed the Central Councils for Research in Ayurveda, Siddha, Unani Medicine, Yoga and Naturopathy and Homoeopathy to extend these benefits to their non-medical scientists and not to those with medical qualifications, more than nine months back; if so, the details thereof; and

(c) whether Government take Executive decisions only on the directions of the Hon'ble Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir. The Ministry of Health and Family Welfare in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, promulgated Department of Health (Group 'A' Gazetted Non-Medical/Scientific and Technical posts) IN-SITU PROMOTION RULES, 1990 to provide appropriate promotion opportunities to non-medical scientific and technical posts under the Ministry of Health and Family Welfare/Institutions under D.G.H.S. The benefits of various allowances like academic and research pursuit allowance (Contingency allowance), Higher Degree allowance and Conveyance allowance have also been extended to them.

(b) The Councils under the Indian System of Medicine and Homoeopathy (ISM&H) have been asked to extend the benefits of in-situ promotion to Group 'A' Non-Medical Scientists/Technical Officers working in the various Councils of ISM & H after obtaining the approval of their respective Governing Bodies.

(c) No, Sir.

चिकित्सक-रोगी अनुपात

2410. **श्री रामजीलाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, भारत की जनसंख्या में विस्फोटक वृत्ति को देखते हुए चिकित्सक-रोगी अनुपात को बढ़ाने तथा आम जनता को परिवार कल्याण संबंधी तरीकों के बारे में अवगत कराने हेतु कोई उपाय किये है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ हरियाणा को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा०सी० सिल्वेरा): (क) और (ख) देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ तथा स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। जनसंख्या के शिथिल मानदण्डों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा परिवार कल्याण के तरीकों सहित स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में उन्हें शिक्षा देने के लिए इन संस्थाओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दूसरी संस्थाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों क प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से उपलब्ध सूचना के अनुसार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में डाक्टर रोगी अनुपात जुलाई, 1995 तक 1:1930 है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी आदि जैसी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बड़ी संख्या में प्रेक्टीशनर्

तथा देश में उपलब्ध अर्ध-चिकित्सा कार्मिक भी लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षा देने में लगे हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के स्वास्थ्य बजट में इस प्रयोजन के लिए राज्य को सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नयी दिल्ली में नर्सों की कार्य-परिस्थितियां

2411. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) उनकी सेवा-शर्तें और वेतनमान क्या हैं;

(ग) क्या अस्पताल के उच्च अधिकारियों तथा पुरुष कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी शिकायतों की जांच कराई है और इस मामले की छानबीन कराने का विचार रखती है तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) (क) और (ख): 1. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मंजूर किए गए नर्सों के पदों की कुल संख्या और उनका वेतनमान इस प्रकार है:—

पदनाम	संख्या	वेतनमान
(क) मुख्य नर्सिंग अधिकारी	1	3000-4500
(ख) नर्सिंग अधीक्षक	1	2200-4000
(ग) उप नर्सिंग अधीक्षक	7	2000-3500
(घ) सहायक नर्सिंग अधीक्षक	46	2000-3200
(ङ) नान रेजिडेंट नर्सें	22	1200-1800
(च) सिस्टर ट्यूटर	13	2000-3200
(छ) नर्सिंग सिस्टर	207	1640-2900
(ज) क्लिनिक्ल अनुदेशक	4	1640-2900
(झ) जन स्वास्थ्य नर्सें	1	1640-2900
(ञ) स्टाफ नर्स	485	1400-2600
	787	

2. नर्सिंग कार्मिकों की सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सदृश नियंत्रित की जाती हैं।

3. तथापि, उन्हें 150 रुपये प्रतिमाह का नर्सिंग भत्ता, 75 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ता, 1500 रुपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता, विशिष्ट विभागों में कार्यरत नर्सों को 60 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन भी दिया जाता है।

नर्सिंग अधीक्षक द्वारा भिन्न-भिन्न शिफटों की जरूरतों को मद्दे नजर रखते हुए किए गए निर्णयानुसार प्रत्येक नर्स हर महीने 22/23 शिफ्ट ड्यूटियां करेगी।

5. बारी-बारी के आधार पर ड्यूटियां लगाकर और छुट्टी दिवसों की व्यवस्था करके हर रोज प्रत्येक शिफ्ट में नियमित नर्सिंग कार्मिकों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।

6. प्रत्येक नर्स को वर्ष में 96 छुट्टी दिवस अर्थात् एक महीने में 8 छुट्टी दिवस और 3 राष्ट्रीय छुट्टियों अथवा राष्ट्रीय छुट्टियों के बदले 3 अतिरिक्त छुट्टी दिवस अर्थात् एक कार्य वर्ष में 99 छुट्टी दिवस मिलेंगे।

(ग) ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।